केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/301 दिनांक: 06.12.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00263
CICOM/R/2018/00995

अपीलकर्ता : श्री रशीद खान,
जे-3/37, फ्लैट नं. सी-2,
द्वितीय तल (अफताब क्लिनीक के पास),
खिड़की एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110017.

निर्णय की तारीख : 06.12.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.10.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.10.2018, 31.10.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री कृष्ण अवतार तलवार, श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	23.11.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	552/28.11.2018 (5778/27.11.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.10.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से HSCC से संबंधित द्वितीय अपील से संबंधित चार बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी । अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि उन्हें अभी तक वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा क्रमशः पत्र सं. CICOM/R/2018/00995 & 00994/CR II दिनांक 22.10.2018 एवं CICOM/R/2018/00995, CICOM/R/2018/00994 दिनांक 31.10.2018 के माध्यम से अपीलकर्ता को वांछित सूचना प्रेषित की जा चुकी है । **श्री कृष्ण अवतार तलवार एवं श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाएं बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है** । प्रदान की गई सूचनाओं की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
06 DEC 2018
D. No.
Initials.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

06/12/18